

पत्र संख्या-वन भूमि-08/2017- 2515 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं०-A-2 श्यामली कॉलोनी,
राँची-834002।

राँची, दिनांक - 15 / 06 / 2017

विषय:- J.U.S.N.L द्वारा दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमंडल अंतर्गत गोविन्दपुर से दुमका तक 220 K.V. D/C ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-16.2635 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-296 दिनांक-20.04.2017, पत्रांक-354 दिनांक-11.05.2017, पत्रांक-372 दिनांक-18.05.2017 एवं पत्रांक-438 दिनांक-06.06.2017 से प्राप्त प्रस्ताव मूल में एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति सभी अनुलग्नकों सहित तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-970 दिनांक-05.06.2017 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

उक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (3) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (4) प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के नीचे Dwarf Species के पौधों के रापेण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (5) वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन कर किए गए कार्य से संबंधित क्षेत्र के विरुद्ध दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (6) प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन की पर्याप्त ऊँचाई प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा ताकि हाथियों के साथ विद्युत स्पर्शघात की दुर्घटना को avoid किया जा सके।

(7) प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास क्षेत्र के लिए वन्य प्राणी प्रबंध योजना का निर्माण एवं अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(8) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

कृपया विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-08/2017- 2515

व०प०, राँची दिनांक- 15/06/2017

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-08/2017- 2515

व०प०, राँची दिनांक- 15/06/2017

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/सहायक महाप्रबंधक, बी०-८, सूर्यदेव नगर, हर्ष विहार कॉलोनी, कोला कुसमा, सरायढेला, धनबाद-828127 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 16.2635 ha of Forest Land for Construction of 220 KV D/C Govindpur to Dumka Transmission Line in favour of J.U.S.N.L.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 16.2635 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 2515 dated-15/06/2017

Signature :

Name & Designation : Sunil Kumar
(Dy. Secretary)
Forest, Environment & Climate
Change Department

Date : 15/06/2017

Place : Ranchi

उप सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

(Official Seal)